उप कोष अधिकारी

MAR 2017

श्रीमाधोपुर (सीकर)

भारत INDIA 50

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

SPECIAL ADHESIVE

NON-JUDICIAL

भारत INDIA 50

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

SPECIAL ADHESIVE

राजस्थान

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प … पर प्रभारित अधिभार

(1) आधारभूत … (धारा 3 …) … 10

(2) गाय और … (धारा 3 …) … 10

कुल योग 20

हस्ताक्षर … [signature]

[illegible]

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

उप पंजीयक खण्डेला (सीकर)

रजि. क्र. 1 दिनांक 5/4/17 50x12

मुद्रांक क्रेता का नाम सचिव - यू टैगोर शिक्षा संस्थान

पता खण्डेला

मुद्रांक क्रेता/उसके के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र सिंह

धर्मेन्द्र सिंह मेहरा

स्टाम्प विक्रेता लाइ. 14/16

तहसील परिसर खण्डेला (सीकर)

25/9/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN

269491

पट्टा-विलेख पंजीयन

उपपंजीयक खण्डेला (सीकर)

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका खण्डेला जिला सीकर(राज.)

बहक

न्यू टैगोर शिक्षण संस्थान पलसाना रोड़
खण्डेला जिला सीकर(राज.) जरिये सचिव

पट्टा सं. / विक्रय पत्र सं.	–	725 / 2013
जारी करने का दिनांक	–	30.07.2013
खसरा नं.	–	2356 / 1, 2356 / 2 राजस्व ग्राम खण्डेला
क्षेत्रफल	–	3800.11वर्गगज संस्थानिक प्रयोजनार्थ
नियमन शुल्क	–	2,66,070रुपये(दो लाख छियाषठ हजार सतर रुपये)
लीज राशि	–	2,12,856रुपये (दो लाख बारह हजार आठ सो छपन्न रुपये) (जरिये रसीद संख्या 07 / 40 दिनांक 30.07.2013)
विकास शुल्क	–	1,90,050रुपये (एक लाख नब्बे हजार पचास रुपये) (जरिये रसीद संख्या 07 / 40 दिनांक 30.07.2013)

Mukesh

कृ.पृ.उ.

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

न्यू टैगोर शिक्षण संस्थान पलसाना रोड खण्डेला (सीकर)
27/9/2013 जरिये सचिव   वास्ते पट्टा पंजीयन

20,000/1 + 1000/1
कुल 21,000/-

Mukesh
सचिव
न्यू टैगोर शिक्षण सस्थान
खण्डेला (सीकर) राज.

आज दिनांक 27/9/13 को .... बार के मध्य उप पंजीयक खण्डेला के
कार्यालय अथवा मुकाम .... में
को न्यू टैगोर शिक्षण संस्थान पलसाना
जाति .... मेरे .... जरिये सचिव
के द्वारा यह दस्तावेज .... पट्टा
पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता   उप पंजीयक खण्डेला

पंजीयन शुल्क 6890 प्रतिलिपि
शुल्क 3350 इन्डोर्समेन्ट शुल्क 300
अन्य शुल्क 12450 कुल योग 22990
रसीद संख्या 5028/61 दिनांक 27/9/13

उप पंजीयक खण्डेला

Mukesh
सचिव
न्यू टैगोर शिक्षण सस्थान
खण्डेला (सीकर) राज.

न्यू टैगोर शिक्षण संस्थान
पलसाना रोड खण्डेला जरिये सचिव
जाति .... व्यवसाय ....
निवासी .... इस दस्तावेज पट्टा को पढ़कर
सुन व समझ कर निष्पादन करना स्वीकार किया।
तथा प्रतिफल की राशि रुपये 668970/-
पूर्व में .... स्वीकार किया।

उप पंजीयक खण्डेला

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

स्थान RAJASTHAN (2)

C 955482

सम्पूर्ण शुल्क – 6,68,970रुपये(छः लाख अड़षठ हजार नो सो सत्तर रुपये)

मुद्रांक शुल्क – 21,000रुपये दर 20,000 / 1+1000 / 1 कुल पृष्ठ 2

यह पट्टा शहरी जमाबन्दी के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटन किया गया है।

साक्षीगण

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वरलाल आयु 28वर्ष
   जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़
   पेशा प्राईवेट नोकरी

हस्ताक्षर पट्टाधारी

2. संजय अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद आयु 30वर्ष
   जाति महाजन निवासी बल्लुपुरा खण्डेला
   पेशा व्यापार

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

संजय

प्रमाणित किया जाता है कि (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र प्रभुदयाल उम्र 48 जाति [illegible]
व्यवसाय नौकरी निवासी [illegible] तथा (2)
श्री संजय पुत्र [illegible] उम्र 30
जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी खण्डेला
ने पहचान कर स्वीकार किया जिन्हें उप पंजीयक
खण्डेला स्वयं नहीं जानता है
[illegible]

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

नगरपालिका खण्डेला (सीकर)

शहरी जमाबंदी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि का पट्टा–विलेख

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू––खण्ड हेतु)

इकरारनामा जो आज दिनांक 30.7.13 200 2013 को आवंटन / विक्रय–पत्र संख्यां 725 सन् 2013 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कहकर संबोधित किया गया है और दूसरी ओर

श्री / श्रीमती सचिव

पुत्र / पत्नि न्यू टैगोर शिक्षण संस्थान जाति

व्यवसाय पलसाना रोड खण्डेला निवासी पलसाना रोड खण्डेला

जिनको इसमे इसके पश्चात पंट्टेदार कहकर संबोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, ग्राहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 266070=– अक्षरे दो लाख छियासठ हजार सत्तर रूपये पैसे मात्र रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रशीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमे उल्लेखित शर्तें और करारें जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमींन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है। जो ख.नं. 2356/1, 2356/2 गृह निर्माण सहकारी समिति की ——— योजना में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेषरूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधि स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादो, संरक्षणों, प्रतिबंधो, वेधनों, शर्तों और करारों के अधिन पट्टेदार अपने उपयोग और उपभोग और कब्जे के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :–

उक्त भूखण्ड शहरी जमाबंदी के आधार पर लीजहोल्ड पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।

(अ) पट्टेदार नगरपालिका खण्डेला के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में आरक्षित दर 60 रूपये प्रतिवर्ग मिटर दर से कुल राशि 266070 रूपये की 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा । निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी। 31 मार्च से पूर्व अग्रिम शहरी जमा बन्दी जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट भी देय होगी।

(ब) 10 वर्ष की अग्रीम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण – पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–5(2) न.वि. / 3 / 99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि. 266070=00 रूपये कि 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। प्रार्थी ने लीज राशि एक मुश्त आठ वर्ष की 212856=00 रुपये रसीद नं 7/40 दिनांक 30.7.13 के द्वारा जमा करवादी है।

शहरी जमाबंदी की निर्धारित धन राशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात तथा प्रत्येक हस्तांतरण पर 25 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।

उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबंदी के कारण वाजिब हो अदायगी ना करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।

उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भाँति नहीं किया जा सकेगा।निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प–5(2) न.वि. / 3 / 99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों प्रदक्रात शिथिलता के तहत कनयमन योग्य निर्माण ाि नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवांही की जायेगी।

यदि भूखण्ड 500 वर्ग मिटर क्षेत्रफल तक का रिक्त तो उस पर निमार्ण आवंटन पत्र के आधार पर किया जा सकता है एवं सेट बैक साइट प्लाट के अनुसार छोड़ने होगे तथा प्राधिकरण के बिल्डिग बाइलॉज के अनुसार निर्माण किया जाना होगा। इसके लिऐ भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिये निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

यदि भूखण्ड 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन से नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकारी ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिऐ गिरवी रखा जा सकेगा।

आवंटी द्वारा भूखंड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण नगरपालिका खण्डेला के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

प्रार्थी ने बाहय विकास शुल्क 190050=00 रुपये रसीद नं 7/40 दिनांक 30.7.13 के द्वारा जमा करवा दिया है।

अधिकृत प्रतिनिधि

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भी भाग को किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया गया

तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोटः– इस भूखण्ड की नियमन राशि 266070=00 रू प्रति वर्गगज.की पंजीकृत मूल्य राशि रूपये .... होती है। अतएव स्टाम्प नं. .... संख्या .... बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

कस्बे का नाम नगरपालिका खण्डेला विस्तृत नाप क्षेत्रफल सहित

पूर्व 223'-0" पश्चिम 197'-0" भूखण्डसंख्या .... सीमा
उत्तर 161'-3" दक्षिण 164'-0" योजनाकानाम .... उत्तर संलग्न
क्षेत्रफल 3800.51 वर्गगज
स्थल मानचित्र संलग्न है।

पूर्व	[illegible]
पश्चिम	रास्ता
उत्तर	[illegible]
दक्षिण	रास्ता

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की और से
आज सन् 200 2013 जुलाई के तीस वें दिन
.... श्री नारायण सिंह अधि. अधि. न.पा. (व) सक्षम
अधिकारी, नगरपालिका खण्डेला 30/7/13
निम्न की उपस्थिति में खण्डेला में हस्ताक्षर किये

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, खण्डेला

अध्यक्ष
नगरपालिका खण्डेला
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :–
(1) नाम महेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम श्री झाबर मल
व्यवसाय अध्यापक
निवास स्थान माजी साहब की ढाणी
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम गिरधारी लाल
पिता/पति का नाम श्री रामेश्वर लाल
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पलसाना
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 30.7.13 200 2013
को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री [illegible]
खरीददार द्वारा कार्यालय नगरपालिका खण्डेला में हस्ताक्षर किये गये।
खरीददार के हस्ताक्षर

साक्षी :–
(1) नाम महेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम श्री झाबर मल
व्यवसाय अध्यापक
निवास स्थान माजी साहब की ढाणी
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम गिरधारी लाल
पिता/पति का नाम श्री रामेश्वर लाल
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पलसाना
साक्षी के हस्ताक्षर

अधिशाषी अधिकारी 30/7/13
नगर पालिका, खण्डेला

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

अध्यक्ष
नगरपालिका खण्डेला

कार्यालय नगरपालिका खण्डेला जिला सीकर

भू आवंटन पत्र

(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (बी) के तहत पुनः आवंटन)

725
30-7-13

भूखण्डधारी का नाम .... सचिव
पिता का नाम .... न्यू हैप्पी शिक्षण संस्थान
.... पलसाना रोड खण्डेला

भूखण्ड संख्या .... ख.न. 2356/1, 2356/2 क्षेत्रफल 3800.11 वर्गमीटर
योजना का नाम .... शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
सहकारी समिति का नाम ....

पूर्व	[illegible]
पश्चिम	रास्ता
उत्तर	[illegible]
दक्षिण	रास्ता

भवन संख्या .... वार्ड संख्या पलसाना रोड .... नगरपालिका, खण्डेला

नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(3) न. वि. वि./3/99 दिनांक 10.7.99 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी को आवासीय उपयोग हेतु नियमित कर नियमनदर पर पुनः आवंटित किया जाता है। आवंटन की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

1. यह आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाता है।
2. इस भूखण्ड पर नियमानुसार शहर जमाबन्दी देय होगी जो कि वर्तमान में उस क्षेत्र की नियमन दर/आरक्षित दर का 2.5%/5.0% प्रतिवर्ष प्रति वर्ग गज है। शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढोत्तरी की जा सकेगी।
3. भवन निर्माण का कार्य आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
4. साइट प्लान के अनुसार सेट बैक छोडने होगें एवं पालिका के बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार निर्माण किया जा सकेगा, इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवंटन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा
5. इस आवंटन पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
6. साइट प्लान नगरपालिका द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार जारी किया गया है।
7. आवंटी द्वारा सम्बधित नियमों, उप नियमों, राज्य सरकार/नगरपालिका के समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जाएगी।
8. प्रार्थी के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए नगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।
9. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार नगरपालिका से करवाना होगा।
10. यह आवंटन पत्र भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ है। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक प. 5(3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.7.99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया जाता है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।

भूखण्ड का विवरण निम्नानुसार है :-

भूखण्ड की लम्बाई X चौड़ाई संलग्न नक्शानुसार
सामने( )
पीछे( )
साइड( )
अधिकतम एफ.ए.आर. स्वीकार्य नियमानुसार
भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई 15 मीटर

आज दिनांक 27 माह 9 सन् 2013 को पुस्तक संख्या/जिल्द सं. 116 पृष्ठ सं. 142 क्रमांक 9512 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या/जिल्द संख्या 126 पृष्ठ सं. 12 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक खण्डेला
जिला सीकर

तैयार कर्ता लिपिक : कनिष्ठ अभियन्ता,
के हस्ताक्षर नगरपालिका, खण्डेला

3/7/13

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, खण्डेला

फातमा
अध्यक्ष
नगरपालिका खण्डेला

क्रमांक : भूमि / /
दिनांक ....

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, भूमिशाखा/नगरपालिका को सूचनार्थ एवं शहरी जमाबंदी के रजिस्टर तुरंत तैयार करने हेतु।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

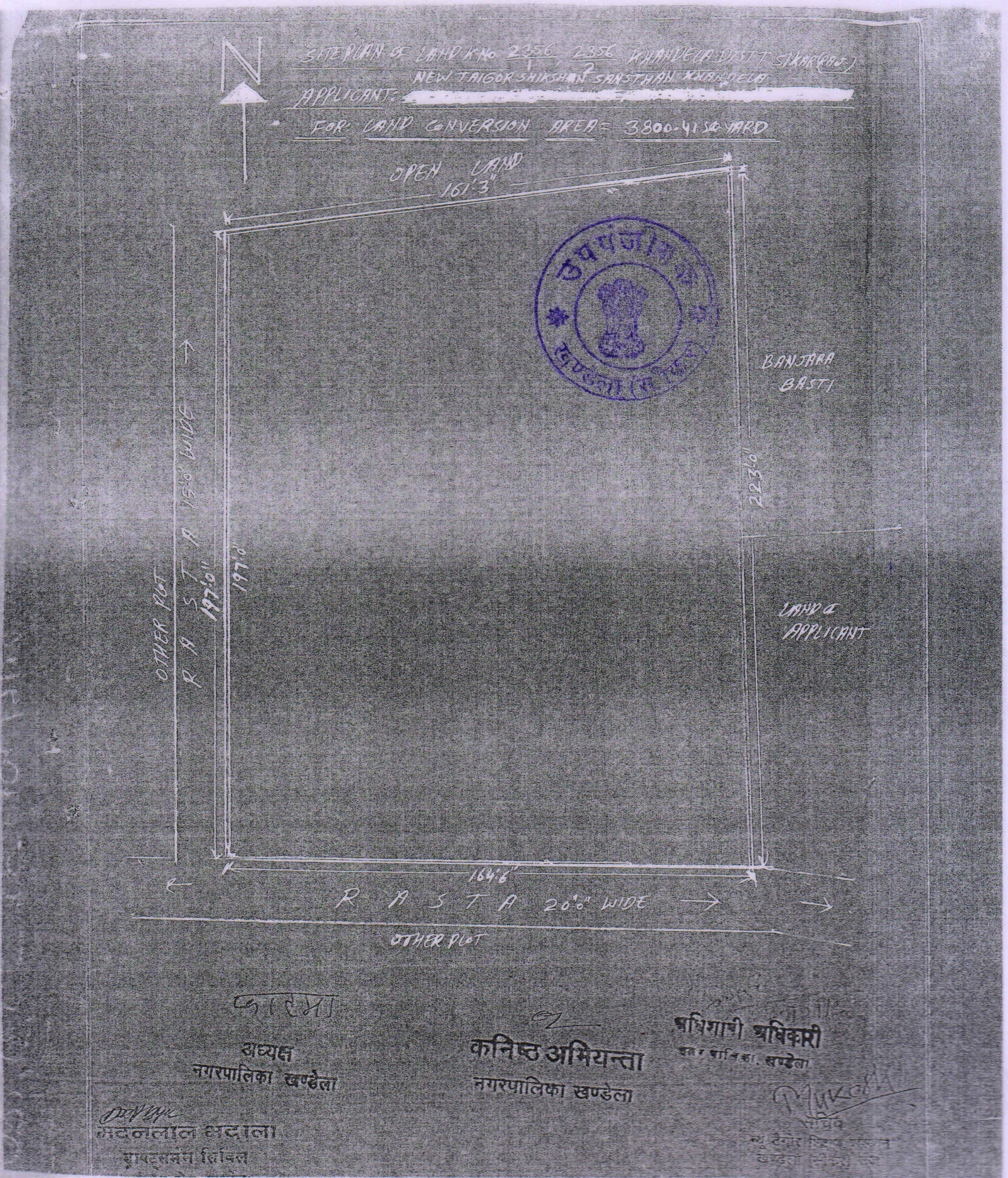

शामिल रहे

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)